प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 100/**2023** (अपील सूचना का अधिकार)

Jodha Ram Address: Bhimana, Pindwara, Sirohi, Raj-307024

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा, उदयपुर (राज.)

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18/09/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329416209683522 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.2023 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 8110204601 दिनांक 23.08.2023 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/100/23/2023/1104-05 दिनांक 23.08.2023 से लिखा गया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक सू.अ./2023/1040 दिनांक 15.09.2023 से इस कार्यालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवा दी गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवायी जाकर अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 1016 दिनांक 11.09.2023 से कुल पेज संख्या 9 की प्रमाणित प्रति हेतु प्रति पेज 2 रुपये की दर से कुल 18 रुपये शूल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के अनुसार "धारा 5 की उप-धारा (2) के परन्तुक या धारा 6 के उप-धारा (3) के परन्तुक के अधीन रहते हुए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या, यथास्थिति, राज्य लोक सूचना अधिकारी, धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर, यथासंभव शीघ्र और किसी भी दशा में, अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, या तो ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाये, सूचना देगा या धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट किसी भी कारण से अनुरोध को नामंजूर करेगा।"

परन्तु सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखते हुए अपीलार्थी को नियमित समयावधि 30 दिन उपरान्त शूल्क जमा कराने हेतु लिखा गया, जिससे स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के प्रावधान का पालन नहीं किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना उसे नियमानुसार निशुल्क 15 दिवस

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

में उपलब्ध करावें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावे। साथ ही प्रत्यर्थी को हिदायत दी जाती है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रदत्त नियमों की पालना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में नियत समयावधि में वांछित सूचनाएँ नियमानुसार उपलब्ध करावे एवं अपील में भी नियत समय में प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर